


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1339/2009.....जिला.....कोटा.....

उपरोक्त अपीलकर्ता कोटा जिले के कोटा जिला मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा जारी की गई है।

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p>
<p>22.04.2015</p>	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी - सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक श्री एम एल पाटौदी व पिभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरना उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी/अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया है कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेनेस्टी योजना, 2015 का व्यवसायी लाभ लेना चाहते हैं। इस हेतु अपीलार्थी/अभिभाषक प्रकरणों को वापस लेना/(Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी/अभिभाषक के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर उपरोक्त हस्तागत अपील को विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (मनोहर पुरी) सदस्य </p>

संख्या 1339/2009
अहमद नगर
हुकम कोटा
में जारी है।